अध्याय 6

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

6.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कम्पनी की अपने पणधारियों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्धता है।

1992 में सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज़) के सामाजिक दायित्व से संबंधित मुद्दे की जांच की और पाया कि' 'राज्य' का हिस्सा होने के नाते, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कल्याणकारी राज्य को दिये गये सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए उद्यम के वित्तीय स्वाथ्य के अनुरूप, सक्रिय भूमिका निभाये, कोपू की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवम्बर 1994 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों में अपने समाज के प्रति उत्तरदायी कारोबार प्रथाओं का पता लगाने का कार्य मूलत: संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सामान्य मार्गदर्शन के तहत् संगठन के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशक मंडल पर छोड़ दिया गया। डीपीई ने अप्रैल 2010 में सीएसआर पर नए दिशानिर्देश जारी किए जिसमें संबंधित सीपीएसईज़ से संबद्ध सामाजिक और पर्यावरण चिन्ताओं के साथ सीएसआर के अन्तर्गत कारोबार योजना को जोड़ना अपेक्षित था। दिशानिर्देशों में स्थायी विकास और सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर के लिए विशिष्ट अधिदेश और कार्यक्षेत्र को सीएसआर के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया था। दिशानिर्देश सीपीएसईज की सीएसआर पहलों की कार्यकलापों, परियोजनाओं, व्यय, प्रलेखन और मानीटरिंग पर चार्टर की प्रकृति के हैं।

6.2 अप्रैल 2013 से सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

डीपीई ने अपने सीएसआर दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जोकि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में बड़ी मात्रा में नीति सामग्री में निषेचन हुआ है। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में से कुछ का विवरण नीचे दिया है:

सीपीएसईज़ से आशा की जाती है कि वे अपने आन्तरिक परिचालनों, कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं के साथ ही साथ बाहरी कारको के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरता के सभी पहलुओं पर एक समान संतुलित जोर देते हुए अपनी नीतियों को तैयार करें।

- सीपीएसईज़ को पिछड़े जिले के विकास के लिए आवश्यक रूप से एक बड़ी परियोजना शुरू करनी है।
- सीपीएसईज़ से हमेशा सामाजिक रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अपने सामान्य कारोबार कार्यकलापों में भी सीपीएसईज़ को इस प्रकार कारोबार करने का प्रयास करना चाहिए जोकि व्यापार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।
- मंडल स्तरीय समिति तथा एक वरिष्ठ अधिकारी जो मंडल स्तर से नीचे एक रैंक से कम न हो, के नेतृत्व वाले द्विस्तरीय ढांचे जिसका गठन सीपीएसईज़ हेतु अनिवार्य है, से आशा की जाती है कि उसके पास इतना अधिकार एवं प्रभाव हो जो कम्पनी के सीएसआर तथा स्थिरता एजेंडा को सम्भाल सके।
- सीपीएसईज़ को वर्ष के लिए सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण कार्यकलापों के लिए आवंटित बजट के पूरी तरह उपयोग न कर पाने के कारण बताने होंगे।
- सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण परियोजनाओं की संख्या की बजाए उनके आकार तथा प्रभाव की मापक्रमणीयता पर अब अधिक जोर दिया जाना है।
- संशोधित दिशानिर्देशों में सीएसआर तथा निरंतरता बजट से कम्पनी द्वारा बनाई गई मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति कर्मचारियों को प्रदान की गई है बशर्ते सुविधाएं मूल रूप से बाहरी पणधारकों के लिए अनिवार्य रूप से बनाई गई हों, तथा सीपीएसईज़ के कर्मचारियों (आन्तरिक पणधारकों) द्वारा सुविधा का उपयोग मात्र प्रासंगिक है तथा लाभधारकों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत के कम तक सीमित रहे।

6.3 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत प्रावधानों को चयनित सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2014 तक, 544 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। इसमें 377 सरकारी कंपनियां, 161 मानी सरकारी कंपनियां और छः सांविधिक कार्पोरेशन शामिल हैं।

विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र की 39 सीपीएसईज़ को समीक्षा के अंतर्गत रखा गया। समीक्षा के उद्देश्य हेतु 12 अप्रैल 2013 को डीपीई दिशानिर्देशों में दिये गये प्रावधानों के आधार पर एक निर्धारण संरचना तैयार की गई। इस निर्धारण संरचना में योजना, वित्तीय घटक, कार्यान्वयन और निगरानी, प्रभाव आंकलन आदि से संबंधित इन दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों का सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन किये जाने से सम्बंधित प्रश्न शामिल किये गये थे।

समीक्षा के अंतर्गत मार्च 2014 को समाप्त एक वर्ष की अवधि रखी गई थी। समीक्षा के निष्कर्ष अग्रलिखित पैराग्राफों में दर्शाये गये हैं।

6.4 योजना

6.4.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतता पर डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 1.4.1 यह दर्शाता है कि सभी सीपीएसईज़ निदेशक मंडल के अनुमोदन से उनकी कंपनी से सम्बन्धित सीएसआर एवं स्थायित्व नीति तथा सीएसआर संप्रेषण कार्यनीति को अवश्य अपनाना चाहिए। सीएसआर एवं स्थायित्व नीति की धारणा और भाव कंपनी की नीति में दृढ़ता से शामिल किये जाने चाहिए। नीति सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा स्थापित सीएसआर एवं स्थायित्व नीति पर दिशा-निर्देशों के समान होनी चाहिए।

हालांकि यह पाया गया कि, निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने अभी तक कोई सीएसआर और स्थायित्व नीति तैयार नहीं की थी।

क्र.सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	नीपको
2	सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन लिमिटेड
3	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजैक्टस कंपनी लिमिटेड
4	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड
5	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
6	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

6.4.2 सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.4.2 के अनुसार, प्रत्येक योजना में प्रत्येक वर्ष के दौरान नियोजित सीएसआर स्थायित्व गतिविधियों, इस कार्य हेतु नियुक्त प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया जाये और ऐसी गतिविधियों का मापने योग्य और संभाव्य परिणाम और सामाजिक/पर्यावरणीय प्रभाव को भी बताया जाना चाहिए। इसके विपरीत,

निम्नलिखित सीपीएसईज़ की सीएसआर योजनाओं में ऐसी गतिविधियों के मापने योग्य और संभाव्य परिणाम तथा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण नही किया गया।

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1	एनएचडीसी लिमिटेड
2	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

6.5 वित्तीय घटक

6.5.1 डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 1.5.1 दर्शाता है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक सीपीएसई अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी की लाभप्रदता के आधार पर वर्ष के सीएसआर और स्थायित्वपूर्ण गतिविधियों/योजनाओं के लिए एक बजटीय आबंटन करेगा। विशेषत:, इसे विगत वर्ष में कंपनी का कर के बाद लाभ (पैट) द्वारा निर्धारित किया जाएगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

विगत वर्ष में सीपीएसई का पैट	सीएसआर और स्थायित्वपूर्ण-क्रियाओं के लिए बजटीय आबंटन की रेंज (विगत वर्ष में पैट का %)
₹ 100 करोड़ से कम	3% - 5%
₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़	2% - 3%
₹ 500 करोड़ और अधिक	1% - 2%

निम्नलिखित कंपनियों में, बजटीय आबंटन निर्धारित रेंजों से कम था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कमी (₹ करोड़ में)
1	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0.59
2	इरेडा	2.83
3	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.58
4	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.35
5	एनएचडीसी लिमिटेड	4.31

6.5.2 सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देश के पैरा 1.5.5 और पैरा 1.5.6 यह दर्शाते हैं कि आपातकालीन आवश्यकताओं, जिसमें प्राकृतिक आपदा/विनाश के दौरान राहत कार्य, और प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष और/या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिये गये अंशदान शामिल है, को पूरा करने के लिए सीपीएसईज़ के सीएसआर एवं सतत्ता क्रियाओं के वार्षिक बजट का 5 प्रतिशत तक तय किया जाएगा। हालांकि, निम्नलिखित कंपनियों में वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए तय नहीं किया गया है।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड
2	सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन लिमिटेड
3	ओएनजीसी
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5	सर्टीफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
6	पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
7	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
8	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
9	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड

6.6 कार्यान्वयन और निगरानी

6.6.1 सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.6.13 से 1.6.16 यह दर्शाते हैं कि सीएसआर और स्थायित्व गतिविधियॉं का कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति और बोर्ड स्तर से नीचे कर्मचारियों के एक समूह जिसे गठित किया गया हो, जो बोर्ड स्तर से एक रैंक से अधिक नीचे न हो; की अध्यक्षता वाली समिति के रूप में संगठन में द्विस्तरीय संगठनात्मक संरचना को गठित करके निरीक्षण किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित कंपनियों में, डीपीई दिशा-निर्देशों द्वारा आदेशित सीएसआर एजेंडा को परिचालित करने के लिए कोई द्विस्तरीय संगठनात्मक संरचना नहीं है।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	गेल गैस लिमिटेड
2	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि, निम्नलिखित सीपीएसईज़ में बोर्ड स्तर सीएसआर समिति अभी तक गठित नहीं की गई है।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	गेल गैस लिमिटेड
2	एनटीपीसी इलैक्ट्रिसीटी सप्लाई कंपनी

निम्नलिखित कंपनियों में, सीएसआर समिति के बोर्ड पर कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बामर लारी एंड कं. लिमिटेड
2	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3	नेथवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन

6.6.2 डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.6.11 दर्शाता है कि सीएसआर और स्थायित्वपूर्ण विकास गतिविधियों के निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों की सहायता से समय-समय पर निगरानी रखनी चाहिए। यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों में, मुख्य निष्पादन संकेतकों की सहायता से समय-समय पर सीएसआर परियोजना की निगरानी की गई:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	वैस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
2	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
3	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड

6.6.3 डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.67 के अनुसार, जहाँ योजनाबद्ध सीएसआर और स्थायित्तव गतिविधियाँ व्यापार नीति के साथ गहरे रूप से जुड़ी हैं और कंपनी इसे करने में पूर्ण निपुणता रखती है, तो कोई सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी अपनी श्रम शक्ति और संसाधनों के साथ सीएसआर प्रक्रिया को कार्यान्वित कर सकती है यदि वह कंपनी ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता में विश्वास रखती है। ऐसे मामले में, यह उपयुक्त है कि निगरानी किसी बाह्य एजेंसी द्वारा की जाये भले ही सीपीएसई का स्टाफ इसमें सहयोगी हो। ऐसे किसी मामले में, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए मूल्यांकन सदैव किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को दिया जाए।

निम्नलिखित कंपनियों में, कंपनियों द्वारा कार्यान्वित इन-हाऊस सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और अंतिम मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को नहीं दिया गया।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	सैट्रल माईन प्लानिंग एंड डिज़ाईन लिमिटेड
2	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड
5	साऊथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
6	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
7	सर्टीफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशन लिमिटेड

6.6.4 डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.6.12 के अनुसार, बाह्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की सफलता के लिए उनकी निगरानी बेहद अहम है। इसलिए सीपीएसईज़ को इस कार्य के लिए विशेष रूप से निर्धारित अपने अधिकारियों की टीम के द्वारा इसे अवश्य ही निष्पादित करना चाहिए। किसी परियोजना को लागू करने हेतु नियुक्त बाह्य एजेंसी, यदि कोई है तो, को निगरानी और मूल्यांकन के कार्य के लिए न समझा जाये ताकि कार्य में निहित हितों में टकराव की संभावना से बचा जा सके।

हालॉकि, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संबंध में, सीएसआर परियोजनाएं बाह्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, निगरानी सीपीएसई के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित नहीं की जाती।

6.7 प्रभाव आकलन

किसी सीएसआर और सतत गतिविधि/परियोजना की सफलता का अंतिम टैस्ट उनका सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव होता है। ऐसी कोई भी गतिविधि समाज या वातावरण पर कुछ संभावित प्रभाव के साथ योजित और कार्यान्वित की जाती है। इस पृष्ठभूमि में, सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 1.8 यह दर्शाता है कि, पूर्ण की गई गतिविधि/परियोजना इसकी सफलता या असफलता की सीमा से आंकी जानी चाहिए।

यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों ने पूर्ण सीएसआर परियोजना/ गतिविधियों के प्रभाव के आकलन के अध्ययन नहीं किये गये।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	महानदी कोल फिल्ड्स लिमिटेड
2	एनएचपीसी लिमिटेड
3	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
4	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड
6	सेट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड

6.8 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी नया कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर दिशानिर्देश

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित है। यह कंपनियों के लिए निवल लागत, टर्नओवर और निवल लाभ पर आधारित विशेष मानदंड दर्शाता है जो सीएसआर प्रक्रियाओं को करने के लिए अपेक्षित हैं, इसके साथ-साथ, सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर प्रक्रियाओं के व्यापक साधनों का चयन, कार्यान्वयन और निगरानी को स्पष्ट करता है। वे प्रक्रियाएं जिन्हें सीपीएसईज़ द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल किया जा सकता है, को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है।

अधिनियम के सेक्शन 135 के प्रावधानों और अधिनियम की अनुसूची VII सीपीएसईज़ सहित सभी कंपनियों पर लागू होती है।

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सीएसआर नियमावली तैयार की है और 27 फरवरी 2014 तक उसे जारी कर दिया हैं। सीएसआर नियमावली 1 अप्रैल 2014 से सभी सीपीएसईज़ सहित सभी कंपनियों पर लागू होंगी। अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों और सीएसआर नियमावली के साथ-साथ, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीएसआर और सतता पर दिशा निदेश भी तैयार किये हैं, (आगे, 'दिशा-निर्देशों' के रूप में संदर्भित किया गया है) जो कि सीपीएसईज़ पर लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश न तो अधिनियम, या अधिनियम की अनुसची VII, या सीएसआर नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन या अवहेलना नहीं करते बल्कि केवल उनकी प्रतिपूर्ति करते हैं। दिशा-निर्देश पहल या प्रयत्न करने की प्रकृति वाले हैं जिसकी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सीपीएसईज़ से मुख्य पणधारक आशा रखते हैं।

अध्याय को मार्च 2015 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

पी. मुखर्जी

नई दिल्ली **(प्रसेनजीत मुखर्जी)**

दिनांक : 22 अप्रैल APR 2015 **उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक**

एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

शशिकान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक : 22 अप्रैल 2015 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**